न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 41/2024

श्री रामधन पुत्र कल्याण चौधरी निवासी हाल मराठा कॉलोनी जिला टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू अभिलेख) कलेक्ट्रेट, टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 01.10.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 367 दिनाक 28.06.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू अभिलेख) कलेक्ट्रेट, टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1. यह कि खाजू शाह पुत्र मिश्री शाह जाति फकीर निवासी ग्राम अरनिया केदार तहसील टोंक के खसरा नं. 708/1 क्षेत्रफल 6 बीघा 11 बिस्वा में 5 बीघा दिनांक 13.12.1978 को राजस्व एवं भू–सुधार विशेष अभियान के तहत अलाटमेन्ट किया था जिसको किस तारीख एवं किस अधिकारी ने किस आदेश से निरस्त किया गया निरस्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उलब्ध करावें।
2. खाजू शाह पुत्र मिश्री शाह फकीर का उक्त भूमि से कब्जा (बेदखल) किया गया रिकॉर्ड उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू अभिलेख) कलेक्ट्रेट, टोंक को पत्र क्रमांक 1129 दिनांक 14.08.2024, पत्र क्रमांक 1198 दिनांक 27.08.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू अभिलेख) कलेक्ट्रेट, टोंक ने पत्र क्रमांक 3907 दिनांक 09.09.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक से संबंधित होने से उनके पत्र क्रमांक 3904–06 दिनांक 09.09.2024 से प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया है। प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक को पत्र क्रमांक 1353 दिनांक 11.09.2024, पत्र क्रमांक 1408 दिनांक 25.09.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड

जिला कलेक्टर
टोंक

शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक ने पत्र क्रमांक 197 दिनांक 26.09.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 20.09.2024 को वांछित सूचना उपलब्ध करवाकर प्राप्ति रसीद ली गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)